


पं०/६१
२३/११/२०२१

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
गोब्रयत पुत्र मेवायत पं० सी० ७८ पं०		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	176 / 2021	GCMS No. 2021/875
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23/11/2021	<p>वादी श्री गोब्रयत पुत्र मेवायत जाति पं० निवासी सी० पं० द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पं० में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2022-2028 ग्राम सी० पटवार मण्डल पं० के खाता नम्बर 96.97 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि गोब्रयत पुत्र मेवायत दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम गोब्रयत पुत्र मेवायत है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008391100181 आधार नम्बर 7391 0862 5396 मतदाता पहचान पत्र 0254/1390723 अन्य दस्तावेज 27.7.2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी पं० भू.अ.नि. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	
		755-757
		
		उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)